

मेसर्स बीओसी इंडिया लिमिटेड

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य।

सिविल अपील संख्या 1538/2009

5 मार्च, 2009

[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे.जे.]

बिहार वित्त अधिनियम, 1981: धारा 13(1)(बी) - बिक्री कर - गैस उत्पादक, स्टील निर्माता को गैस की आपूर्ति करता है, जिसने पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक बी में निर्दिष्ट 3% कर योग्य वस्तुओं की सूची में ऑक्सीजन दिखाया था - बाद की अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं के निर्माण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक कच्चे माल की बिक्री पर बिक्री कर 2% निर्धारित किया गया-गैस आपूर्तिकर्ता ने स्टील निर्माता को गैस की आपूर्ति पर 2% बिक्री कर वसूलना शुरू कर दिया - गैस आपूर्तिकर्ता पर मांग नोटिस, जिसमें कहा गया कि स्टील निर्माता ऑक्सीजन गैस पर 3% की दर से खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था - रिट याचिका - इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि गैस आपूर्तिकर्ता के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कर स्टील निर्माता द्वारा देय था- निर्णय दिया गया: गैस आपूर्तिकर्ता पर मांग की गई थी- वह व्यथित व्यक्ति था और इस प्रकार रिट याचिका दायर करने का अधिकार था - बिहार बिक्री कर नियमावली, 1983 - नियम 6.

मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) ने स्टील का उत्पादन किया। उक्त उद्देश्य के लिए, इसने मेसर्स बीओसी इंडिया लिमिटेड (बीओसी) से ऑक्सीजन गैस खरीदी।

धारा 13(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। उक्त प्रमाणपत्र मूल रूप से 16.3.1983 को प्रदान किया गया था और समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया जाता रहा। ऑक्सीजन

पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' में निर्दिष्ट 3% कर योग्य वस्तुओं की सूची में दर्शाया गया है।

समय-समय पर कई अधिसूचनाएँ जारी की गईं, जिनके अनुसार विनिर्माण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कर की अलग-अलग दरें निर्धारित की गईं। अधिसूचना दिनांक 3.2.1986 के अनुसार, राज्य के लिए वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक कच्चे माल की बिक्री पर बिक्री कर 2% की दर से लगाया जाएगा, जिसमें ऐसे कच्चे माल को छोड़कर जो पहले से ही किसी विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जिनकी आगे की असंबली के लिए आवश्यकता है।

टिस्को ने कभी भी पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन या संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया। ऑक्सीजन गैस को पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 'बी' में ही रहने दिया गया, जिसके लिए 3% की दर से बिक्री कर देय था। आकलन वर्ष 2002-2003 तक, टिस्को को ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति के लिए, बीओसी ने 3% की दर से बिक्री कर लगाया। हालाँकि, उक्त कथित गलती को बीओसी ने 3.2.1986 की उक्त अधिसूचना के अनुसार सुधारने की मांग की थी, जिसमें टिस्को को की गई ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति पर 2% बिक्री कर लगाया गया था। बीओसी ने टिस्को को औद्योगिक गैसों की बिक्री पर 2% की दर से कर भी जमा किया।

विभाग ने बी.ओ.सी. को डिमांड नोटिस जारी किया। नोटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बी.ओ.सी. के पास कोई अधिकार नहीं है। रिट याचिका दायर करने के लिए क्योंकि यह स्वीकार किया गया कि कर टिस्को द्वारा देय था; कि टिस्को को 3% की रियायती दर पर खरीद करने के लिए अधिकृत किया गया था न कि 2% की दर पर और, इस प्रकार, मांग अप्रतिबंधित थी; कि विक्रेता डीलर अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के तहत उसे दिए गए प्रमाण पत्र से बंधा हुआ था। यह भी माना गया कि ऑक्सीजन गैस एक कच्चा माल था या नहीं, इसका फैसला/निर्धारण बीओसी द्वारा दायर रिट याचिका में नहीं किया जा सकता क्योंकि टिस्को अकेले ही निर्धारित प्राधिकारी को यह समझाने के लिए सक्षम था कि एक वस्तु जो हमेशा से थी, वह कैसे हो सकती है।

अनुलग्नक-बी के अनुसार माल के रूप में माना और उल्लेख किया गया है, इसे कच्चा माल माना जा सकता है। बीओसी और टिस्को ने ये अपीलें दायर कीं।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1. बीओसी ऑक्सीजन गैस का निर्माता था। बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह डीलर था। यह एक करदाता था। राज्य के एक एजेंट के रूप में भी यह अपनी ओर से कर एकत्र करने और कानून के अनुसार उसे जमा करने के लिए बाध्य था। इसका पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मांग नोटिस में भी, इसे अंतर राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की धमकी दी गई थी जब तक कि यह जमा करने का सबूत नहीं पेश करता। इस प्रकार, बीओसी पर मांग की गई थी। इसलिए, इसका अधिकार क्षेत्र था रिट आवेदन को बनाए रखने के लिए। TiSCO को रियायती दर पर उक्त सामान खरीदने का अधिकार था। यदि सामग्री का उपयोग विनिर्माण के लिए किया जाता था, तो कर की दर 3% थी जबकि यदि सामग्री का उपयोग अंतिम उत्पाद के प्रसंस्करण और/या विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो कर की दर 2% होगी। निर्धारित अवधि के भीतर कर की कुल राशि जमा न करने पर न केवल दंडात्मक कार्यवाही बल्कि अन्य कार्यवाही भी उसके खिलाफ शुरू की जा सकती थी। यदि करदाता के खिलाफ मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाता है, तो उसके समक्ष एकमात्र उपाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील/संशोधन करना था। इस प्रकार, यह एक रिट आवेदन को बनाए रखने के लिए व्यथित व्यक्ति था। [ पैरा 16, 17]. [269-एजी]

काबुशिकी कैशा तोशिबा बनाम तोसिबा एप्लायंसेज कंपनी एवं अन्य . 2008 (8)  
स्केल 354 - पर भरोसा किया गया।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य , जी (2005)  
4 एससीसी 272; राइट, क्रॉस्ले एवं कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर 70,078 (1898) 15 आरपीसी  
131 - संदर्भित।

2.1. "कच्चा माल" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे उसी तरह से अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि धारा 14 में समझा गया है।

मामले से निपटने वालों की आम बोलचाल। [पैरा 20] [270-सी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली बनाम मेसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1989) 4 एससीसी 566; टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और एन (1994) 6 एससीसी 479; सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलोर बनाम एसीईआर इंडिया (पी) लिमिटेड (2008) 1 एससीसी 382; पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड बनाम व्यापार कर आयुक्त, लखनऊ (2008) 8 एससीसी 369 - पर भरोसा किया गया।

2.2. स्टील के निर्माण के मामले में ऑक्सीजन गैस की भूमिका के बारे में न तो जानकारी है और न ही विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में। केवल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दिए गए आरेख के आधार पर निर्णय लेना भी संभव नहीं है। ऑक्सीजन गैस को कच्चा माल माना जा सकता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 23] [272-डीई]

नर्बदा प्रसाद बनाम छगन लाल और अन्य . (1969) 1 एससीआर 499; कुंवर पाल सिंह (मृत) एलआरएस आदि आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य । (2007) 5 एस.सी.सी. 85 - लागू नहीं माना गया।

3. यदि कोई आवेदक प्रारंभिक चरण में किसी विशेष अधिसूचना के तहत लाभ का दावा नहीं करता है, तो भी उसे बाद के चरण में ऐसे लाभ का दावा करने से वंचित, निषिद्ध या रोका नहीं जा सकता है। इन कारणों से, आरोपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अपीलकर्ता पर की गई मांग को भी खारिज किया जाता है। यह प्रश्न कि ऑक्सीजन गैस स्टील के निर्माण के लिए कच्चा माल है या नहीं, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उन सामग्रियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिन्हें पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। मूल्यांकन प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारों को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दें। उक्त प्रश्न पर निर्धारण के आधार पर अन्य सभी परिणामी कार्यवाही की जा सकती है। [ पैरा 25-27] [273-जीएच; 274-एसी]

कुंवर पाल सिंह (मृत) द्वारा एल.आर. आदि आदि बनाम राज्य

यूपी और अन्य . (2007) 5 एससीसी 85; शेयर मेडिकल केयर बनाम यूनियन ए ऑफ इंडिया और अन्य । (2007) 4 एससीसी 573 - पर भरोसा किया गया।

केस लॉ संदर्भ

(2005) 4 एससीसी 272	करने के लिए भेजा	पैरा 12
(1898) 15 आरपीसी 131	करने के लिए भेजा	पैरा 18
2008 (8) स्केल 354	पर भरोसा	पैरा 18
(1989) 4 एससीसी 566	पर भरोसा	पैरा 18
(1994) 6 एससीसी 479	पर भरोसा	पैरा 21
(2008) 1 एससीसी 382	पर भरोसा	पैरा 22
(2008) 8 एससीसी 369	पर भरोसा	पैरा 22
(1969) 1 एससीआर 499	लागू नहीं माना गया	पैरा 24
(2007) 5 एससीसी 85	लागू नहीं माना गया	पैरा 24
(2007) 5 एससीसी 85	पर भरोसा	पैरा 24
(2007) 4 एससीसी 573	पर भरोसा	पैरा 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1538/2009

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के WR (T) संख्या 4693/2005 के दिनांक 02.11.2007 के निर्णय एवं आदेश से।

साथ

सिविल अपील संख्या 1540/2009

एस. घनेश , श्याम दीवान, एमके दुआ , गोपाल जैन, नंदिनी गोरे, सोनिया निगम, कार्तिक भटनागर , माणिक अपीलकर्ताओं की ओर से श्री करंजावाला ।

प्रतिवादी की ओर से बी बी सिंह, राजेश पाठक ।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

258

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2009] 4 एससीआर

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा रिट याचिका (टी) संख्या 4693/2005 में दिनांक 02.11.2007 को दिए गए निर्णय और आदेश से उत्पन्न ये दोनों अपीलें एक साथ सुनवाई के लिए ली गईं और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाई जा रही हैं।

3. इसमें शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स विवाद में नहीं है।

मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) स्टील का उत्पादन करती है। उक्त उद्देश्य के लिए, यह औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग के लिए उत्पादक और आपूर्तिकर्ता मेसर्स बीओसी इंडिया लिमिटेड (बीओसी) से ऑक्सीजन गैस खरीदती है। बीओसी ने वर्ष 1993 से टिस्को को ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति शुरू की।

निर्विवाद रूप से, टिस्को ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 13(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया और उसे प्रदान किया गया। उक्त प्रमाणपत्र मूल रूप से 16.3.1983 को प्रदान किया गया था। निर्विवाद रूप से, इसे समय-समय पर नवीनीकृत किया गया; इसमें प्रश्नगत अवधि, अर्थात् 2001-02 को शामिल किया गया, जिसे 31.5.2004 तक नवीनीकृत किया गया।

निस्संदेह, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, डीलर को उन वस्तुओं की सूची दिखानी होती है जो 1% पर कर योग्य हैं और साथ ही उन वस्तुओं की सूची भी दिखानी होती है जो 3% पर कर योग्य हैं। ऑक्सीजन को पंजीकरण प्रमाणपत्र में संलग्न अनुलग्नक 'बी' में निर्दिष्ट 3% पर कर योग्य वस्तुओं की सूची में दिखाया गया था।

4. इस स्तर पर हम अधिनियम की धारा 13(1)(बी), 14(2) और 54 जैसे प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं।

जो इस प्रकार है:

"13. कुछ बिक्री या खरीद पर कर की विशेष दर.-

(1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं।

(ए) .....।

(ख) किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित माल की बिक्री या खरीद।

14. डीलरों का पंजीकरण.(1) ..

(2) प्रत्येक व्यापारी, जिसके पास उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र होना अपेक्षित है, उसके लिए निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को आवेदन करेगा और उक्त प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन सही है, आवेदक को पंजीकृत करेगा और उसे निर्धारित समय के भीतर निर्धारित तरीके से और निर्धारित प्ररूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें वह माल या माल का वर्ग या विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे व्यापारी बेचता या खरीदता है और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं। बशर्ते कि इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा और उसे वैध नहीं समझा जाएगा, जब तक कि आवेदक सभी विहित विवरण और ऐसे अन्य विवरण सही-सही प्रस्तुत नहीं करता है, जो विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपेक्षित हों;

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कोई व्यापारी, जिसके पास उपधारा (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र होना अपेक्षित है, विहित समय-सीमा के भीतर और विहित तरीके से ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है और आवेदन इस उपधारा के प्रथम परंतुक के अनुसार अन्यथा वैध है, वहां वह इस भाग (क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी अधिकारों का प्रयोग करने और सभी कर्तव्यों का पालन करने तथा सभी दायित्वों को वहन करने के प्रयोजनों के लिए, जिस तारीख को उसने ऐसा आवेदन किया था, उस तारीख से उसके पास वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र माना जाएगा :

यह भी प्रावधान है कि जहां कोई व्यापारी राज्य या संघ के किसी कानून के स्पष्ट और विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल की बिक्री या खरीद का कोई व्यवसाय करता है, वहां इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद,

इस भाग के अधीन हैं और कर भुगतान के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित प्राधिकारी उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा।

54. व्यापारियों द्वारा सूचना प्रस्तुत करना.-

यदि कोई व्यापारी इस भाग के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-

(क) अपने व्यवसाय या अपने व्यवसाय के किसी भाग का, चाहे बिक्री द्वारा या अन्यथा, निपटान करता है, या

(b) कोई व्यवसाय या व्यवसाय का कोई भाग, चाहे खरीद कर या अन्यथा, अर्जित करता है, या

(c) व्यवसाय के स्वामित्व या संविधान में कोई अन्य परिवर्तन करता है, या

(d) अपना व्यवसाय बंद कर देता है या अपना व्यवसाय स्थान बदल देता है, या

(e) अपने व्यवसाय का नाम, शैली या प्रकृति बदलता है या अपने द्वारा बेचे जाने वाले माल के वर्ग या विवरण में कोई परिवर्तन करता है, या

(f) अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से नया व्यवसाय शुरू करता है या किसी अन्य व्यवसाय में शामिल होता है, या

(g) धारा 14 के तहत किए गए आवेदन में दिए गए विवरण या धारा 15 के तहत दिए गए घोषणापत्र में कोई परिवर्तन करता है,

वह पूर्वोक्त किसी भी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा, और यदि ऐसा कोई व्यापारी ऐसा किए बिना मर जाता है, तो उसका निष्पादक, प्रशासक, हित-उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, व्यापारी की मृत्यु के पंद्रह दिन के भीतर उक्त प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा।"

5. राज्य ने अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार बिक्री कर नियम, 1983 के नाम से नियम बनाए। इसके नियम 3(9), 6(1) (बी), 6(4) इस प्रकार हैं:

"3(9) (क) प्रत्येक व्यापारी, जिस पर धारा 54 के प्रावधान लागू होते हैं, उपनियम (3) में निर्धारित समुचित प्राधिकारी को धारा 54 के अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक बनाने वाले पूर्ण विवरण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

(b) जहां धारा 54 के तहत डीलर द्वारा दी गई जानकारी या उप-नियम (3) के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन करना आवश्यक बनाती है, वहां उक्त प्राधिकारी, जहां डीलर ने संशोधन के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देगा और वह ऐसे निर्देश का पालन करेगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उक्त प्राधिकारी, आवश्यक सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र को उचित रूप से संशोधित करेगा।

(c) जहां धारा 54 के अधीन किसी व्यापारी द्वारा दी गई सूचना या उपनियम (3) में विहित प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्राप्त सूचना के कारण धारा 15 के अधीन दी गई घोषणा में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, वहां व्यापारी उक्त प्राधिकारी को संशोधित घोषणा प्रस्तुत करेगा, जब तक कि ऐसी संशोधित घोषणा उक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है, मूल घोषणा वैध और बाध्यकारी मानी जाएगी।

6. धारा 13 के अधीन प्रमाणपत्र.- (1) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा-

(ए)

(ख) जहां उक्त उपधारा (ख) या (ग) के अंतर्गत आने वाली खरीद करने के लिए प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, वहां ऐसा आवेदन प्रत्येक व्यवसाय स्थान के संबंध में अलग से किया जाएगा;

(2) : .....

(3) .....

(4) (क) उपनियम (3) के खंड (क) या (ख) में विहित समुचित प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र II या III में आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन के सत्यापन के पश्चात्,

आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर या ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि आवेदन सही है, तो वह, यथास्थिति, प्ररूप VIA या VIB में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(ख) प्ररूप IV में आवेदन प्राप्त होने पर, यदि संभाग का संयुक्त आयुक्त, आवेदक द्वारा दिए गए विवरणों के सत्यापन के पश्चात, या ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन क्रम में है, तो वह उपनियम के खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

(6), आवेदक को फॉर्म वीआईसी में प्रमाण पत्र प्रदान करें। इस प्रकार प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रति उप-मंडल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी भेजी जाएगी, यदि व्यवसाय उप-मंडल की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित करने का इरादा है, और अन्य मामलों में उप आयुक्त या सहायक आयुक्त या मंडल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी भेजी जाएगी।

6. उक्त नियमों के अनुसार, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्रपत्र III में दाखिल किया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन वस्तुओं का विवरण दिखाना आवश्यक है जिन्हें डीलर को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (बी) या (सी) के अनुसार कर की विशेष दर पर खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रपत्र VIB के अनुसार प्रदान किया जाता है। खंड (3) इस प्रकार है;

(3) माल का विवरण जिसे प्रमाणपत्र धारक को धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन कर की विशेष दर पर क्रय करने की अनुमति है।

---

माल का विवरण।

विशेष उद्देश्य जिसके लिए आवश्यक है

---

1

2

---

7. निस्संदेह, राज्य ने समय-समय पर कई अधिसूचनाएँ जारी कीं, जिनमें से एक अधिसूचना दिनांक 15.12.1976 की है, जिसके अनुसार विनिर्माण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में तीन प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 12.4.1982 के एसओ संख्या 604 के कारण, अधिनियम की धारा 13(1) (बी) के तहत देय औद्योगिक कच्चे माल (इनपुट) पर बिक्री कर की दर एक प्रतिशत निर्धारित की गई थी। दिनांक 9.9.1983 की अधिसूचना एसओ 1096 द्वारा यह प्रावधान किया गया:

"एसओ 1096, 9 सितम्बर, 1983- बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग 1 (बिहार अधिनियम संख्या 5, 1981) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एसओ 604, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को अधिक्रमण करते हुए, बिहार के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि राज्य में विक्रय के लिए अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय बिक्री कर की दर, ऐसे कच्चे माल को छोड़कर, जो पहले से ही किसी विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तथा जो आगे संयोजन के लिए आवश्यक हैं, दो प्रतिशत की दर से होगी।"

8. फिर भी, एसओ 154 दिनांक 3.2.1986 के कारण बिक्री के लिए माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक कच्चे माल की बिक्री पर बिक्री कर लगाया गया, जिसमें ऐसे कच्चे माल को शामिल नहीं किया गया जिनका पहले से कोई विनिर्माण हो चुका है।

या उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है और जो आगे संयोजन के लिए आवश्यक है, वह दो प्रतिशत की दर से होगा।

9. माना जाता है कि टिस्को ने पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन या संशोधन के लिए कभी आवेदन नहीं किया। ऑक्सीजन गैस को पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 'बी' में रहने दिया जाता रहा, जिसके लिए बिक्री कर तीन प्रतिशत की दर से देय था। निर्विवाद रूप से, मूल्यांकन वर्ष 2002-2003 तक टिस्को को ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति के लिए बीओसी ने भी

जाता था । हालाँकि, उक्त कथित गलती को बीओसी ने 3.2.1986 की उक्त अधिसूचना के अनुसार सुधारने की मांग की थी, जिसमें टिस्को को की गई ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति पर दो प्रतिशत बिक्री कर लगाया गया था। टिस्को ने नियमों के फॉर्म IX के अनुसार एक घोषणा जारी की। बीओसी ने टिस्को को औद्योगिक गैसों की बिक्री पर दो प्रतिशत की दर से कर भी जमा किया।

10. वाणिज्यिक कर उपायुक्त ने 20.4.2005 के आसपास बी.ओ.सी. को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया:

"यह सूचित किया जाता है कि आपने मेसर्स टिस्को लिमिटेड को औद्योगिक गैसों की बिक्री पर 2% की दर से कर जमा कर दिया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके पक्ष से दायर एसएलपी© संख्या 15419/2004 को दिनांक 30.3.2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 20.5.2005 तक बकाया स्वीकृत कर राशि ₹0 1,02,45,572/- जमा करने का साक्ष्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा झारखंड द्वारा अपनाए गए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 16(9) के अंतर्गत आपके विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

दिनांक 29.6.2005 को एक अन्य नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया था: "इस कार्यालय के पत्र संख्या 188 दिनांक 20.4.2005 द्वारा आपको सूचित करने के बावजूद भी आपके द्वारा कर सहित शेष राशि 1,02,45,572/- रुपए आज तक जमा नहीं कराई गई है।

पुनः, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 15.7.2005 तक बकाया स्वीकृत कर राशि 1,02,45,572/- रुपये जमा करने का साक्ष्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा झारखंड द्वारा अपनाए गए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 16(9) के अंतर्गत आपके विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।"

11। बीओसी ने अपने पत्र दिनांक 15.7.2005 में , जो कि डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर सर्किल, जमशेदपुर को संबोधित था, कहा:

"दिनांक 29.06.05 को उक्त पत्र/नोटिस प्राप्त करने के बाद हमने टाटा स्टील अर्थात अपने क्रेता, जो ऑक्सीजन सहित उक्त औद्योगिक गैसों की खरीद के लिए पंजीकृत डीलर हैं, के साथ इस मामले को उठाया था। टाटा स्टील द्वारा यह सूचित किया गया है कि टाटा स्टील ऑक्सीजन सहित उन औद्योगिक गैसों को इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है और यह अधिसूचना एसओ संख्या 1096 दिनांक 09.09.83 के अंतर्गत आता है, इसलिए 2% की रियायती दर से बिक्री कर लागू है। इस संदर्भ में मामले की व्याख्या करते हुए उनके पत्र संख्या ACCTS/ST/990/115/05 दिनांक 31.05.05 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से पहले ही यह सूचित किया जा चुका है। टाटा स्टील को ऑक्सीजन सहित औद्योगिक गैसों की आपूर्ति/बिक्री के विरुद्ध बिक्री कर की रियायती दर का भुगतान

उपरोक्त के मद्देनजर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पत्र संख्या 2137 दिनांक 29.06.05 को वापस लें, जिसमें 1% की दर से कुल 1,02,45,572/- रुपए की कर की अंतर दर की मांग की गई थी, तथा तदनुसार मामले को समाप्त करें।

वाणिज्यिक कर उपायुक्त, जमशेदपुर सर्किल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 22.7.2005 को जारी पत्र द्वारा बी.ओ.सी. पर पुनः मांग उठाई गई, जिसमें कहा गया कि टिस्को को ऑक्सीजन गैस पर तीन प्रतिशत की दर से रियायती क्रय कर का भुगतान करना चाहिए। इसलिए, बी.ओ.सी. को निर्देश दिया गया कि वह 1,02,45,572/- रुपए की शेष अंतर राशि को 18.8.2005 तक जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा वसूली के अन्य तरीके अपनाए जाएंगे।

जी नोटिस की वैधता और/या वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे आरोपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीओसी के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि कर टिस्को द्वारा देय था; तीन प्रतिशत की रियायती दर पर खरीद करने के लिए अधिकृत होने के नाते

प्रतिशत की दर से नहीं बल्कि दो प्रतिशत की दर से और, इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा की गई मांग अकाट्य थी, क्योंकि विक्रेता डीलर अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के तहत उसे दिए गए प्रमाण पत्र से बाध्य है। यह भी माना गया कि ऑक्सीजन गैस कच्चा माल है या नहीं, इसका फैसला/निर्धारण बीओसी द्वारा दायर रिट आवेदन में नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल टिस्को ही निर्धारित प्राधिकारी को यह समझाने के लिए सक्षम है कि, जिसे अनुबंध 'बी' के अनुसार माल के रूप में माना और उल्लेख किया गया था, उसे कच्चा माल कैसे माना जा सकता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य [(2005) 4 एससीसी 272] के मामले में इस न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, रिट याचिका को भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि टिस्को इस आशय का अलग रुख नहीं अपना सकता कि ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में किया गया था।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया:

अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ऑक्सीजन गैस को अनुलग्नक-बी में उल्लिखित माल के रूप में माना गया था। उसी का समर्थन करते हुए, क्रेता डीलर ऑक्सीजन गैस को माल के रूप में मानते हुए कई वर्षों से 3% की रियायती दर पर कर का भुगतान कर रहा है। विक्रेता डीलर उक्त प्रमाण पत्र से बंधा हुआ है। तदनुसार, वह शुरू से लेकर 2000 तक 3% की दर से बिक्री कर एकत्र करता रहा है और उसके बाद उसने इसे कच्चा माल मानते हुए 2% की दर से बिक्री कर एकत्र करना शुरू कर दिया। क्रेता डीलर या विक्रेता डीलर, दोनों में से कोई भी अपने आप माल की प्रकृति का निर्णय नहीं कर सकता, जब तक कि क्रेता डीलर द्वारा संपर्क किए जाने पर ऑक्सीजन गैस को कच्चा माल मानते हुए प्रमाण पत्र को उस प्रभाव के लिए संशोधित नहीं किया जाता। क्रेता डीलर को अनुलग्नक-बी में उल्लिखित ऑक्सीजन गैस को माल मानते हुए 3% की दर से बिक्री कर का भुगतान करना होगा और विक्रेता डीलर को केवल प्रमाण पत्र के अनुसार इसे एकत्र करना होगा और सरकार के पास जमा करना होगा। जब तक यह निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष स्थापित नहीं हो जाता, जो बदले में, माल की प्रकृति का निर्णय करेगा, क्रेता डीलर भुगतान का दावा नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन गैस को कच्चा माल मानकर 2% की रियायती दर पर बिक्री कर लगाया जा रहा है।

दो अधिसूचनाएँ। इसलिए, मांग नोटिस पूरी तरह से उचित हैं।

13. बी.ओ.सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश और टिस्को की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया:

- i. जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उल्लिखित चित्र से पता चलता है, ऑक्सीजन गैस को सीधे लांस के माध्यम से भट्ठी में इंजेक्ट किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसका उपयोग स्टील के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- ii. बेसिक ऑक्सीजन स्टीलमेकिंग (बीओएस) इस्पात निर्माण की एक विधि है, जिसमें कार्बन युक्त पिघले हुए लोहे को पिघले हुए कच्चे लोहे के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवाहित करके स्टील में बदला जाता है, मिश्र धातु की कार्बन सामग्री कम हो जाती है और सामग्री कम कार्बन वाले स्टील में बदल जाती है, जैसा कि विकिपीडिया से पता चलता है, आरोपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
- iii. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या तैयार उत्पाद के लिए प्रयुक्त सामग्री कच्चा माल होगी या नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु तैयार उत्पाद का भाग बनी रहे, क्योंकि यहां तक कि उस स्थिति में भी जब वह अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए अपेक्षित रासायनिक प्रक्रिया में जल गई हो, वह कच्चा माल बनी रहेगी।
- iv. अधिसूचना के साथ अधिनियम की धारा 13(1)(बी) में केवल यह प्रावधान है कि करदाता को कच्चा माल पंजीकृत व्यापारी को ही बेचना होगा; तथा इसका उपयोग बिक्री के लिए माल के प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए किया जाना चाहिए; करदाता होने के नाते बीओसी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि टिस्को को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में ऑक्सीजन गैस को अनुलग्नक 'ए' या अनुलग्नक 'बी' में दर्शाया गया है या नहीं।
- v. बीओसी एक करदाता होने के नाते उत्तरदायी बनाया गया है

के लिए रिट आवेदन को बनाए रखने के लिए अपेक्षित अधिकार था।

- vi. औद्योगिक नीति की प्रयोज्यता पर सवाल उठाते हुए टिस्को द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य [ सुप्रा ] में इस न्यायालय के निर्णय का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि कर का भुगतान अधिसूचना द्वारा शासित होता है, इसलिए रिस ज्यूडिकाटा और/या एस्टोपल के सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी बी सिंह ने तर्क दिया:

- i. सभी सामग्रियों और/या कच्चे माल पर कर की विशेष दर का दावा करने की प्रक्रिया अधिनियम और/या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई है, तथा इसका लाभ प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा इसका अनुपालन किया जाना अपेक्षित था।
- ii. टिस्को, जो ऑक्सीजन गैस का उपभोक्ता है, ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि ऑक्सीजन के संबंध में कर की दर दो प्रतिशत होगी न कि तीन प्रतिशत, इसलिए बीओसी को टिस्को के मामले में दलील देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अंततः दायित्व टिस्को का ही होगा।
- iii. अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम अनिवार्य प्रकृति के होने के कारण, टिस्को के लिए यह अनिवार्य था कि वह इसके प्रावधानों की आवश्यकताओं का ईमानदारी से अनुपालन करे।
- iv. चूंकि टिस्को ने प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी है, इसलिए उसके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार्य नहीं है।

15. हम सर्वप्रथम यह बात अभिलेख में रख सकते हैं कि चूंकि श्री बी.बी. सिंह ने यह स्वीकार किया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य [ सुप्रा ] में इस न्यायालय का निर्णय यहां सम्मिलित मुद्दों पर लागू नहीं होता, इसलिए हमें इस पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया है।

16. बीओसी निस्संदेह ऑक्सीजन गैस का निर्माता है। यह अपने उत्पाद का आपूर्तिकर्ता होने के नाते अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ में एक डीलर है। इस प्रकार, यह अधिनियम की धारा 2(ई) के अनुसार 'डीलर' के दायरे में आता है क्योंकि यह नकदी के लिए या आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने का व्यवसाय करता है, यह एक करदाता है। यह राज्य के एक एजेंट के रूप में भी अपनी ओर से करों को इकट्ठा करने और कानून के अनुसार उन्हें जमा करने के लिए बाध्य है। इसका पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। यहां तक कि डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर सर्कल, जमशेदपुर द्वारा 22.7.2005 को की गई मांग में भी इसे अंतर राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की धमकी दी गई थी जब तक कि यह जमा करने का सबूत नहीं पेश करता।

17. इस प्रकार, बीओसी पर मांग की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय की यह राय कि उसके पास रिट आवेदन को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था, स्वीकार नहीं की जा सकती। यह सच हो सकता है कि ऑक्सीजन गैस का उपभोक्ता टिस्को है। वह रियायती दर पर उक्त सामान खरीदने का भी हकदार था। यदि सामग्री का उपयोग विनिर्माण के लिए किया जाता है, तो कर की दर तीन प्रतिशत है, जबकि यदि सामग्री का उपयोग अंतिम उत्पाद के प्रसंस्करण और/या विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो निर्विवाद रूप से, कर की दर दो प्रतिशत होगी। अंततः, बीओसी टिस्को से कर की अंतर राशि वसूलने का हकदार हो सकता है, लेकिन, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एक दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति है। निर्धारित अवधि के भीतर कर की कुल राशि जमा न करने के लिए न केवल दंडात्मक कार्यवाही बल्कि अन्य कार्यवाही भी उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है, यदि करदाता के खिलाफ मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाता है, तो उसके सामने एकमात्र उपाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील/संशोधन करना है। इस प्रकार, हमारी राय में, यह एक व्यथित व्यक्ति था जिसके लिए रिट आवेदन दायर करना उचित था।

क्रॉसले और कंपनी के ट्रेड मार्क नंबर 70,078 (1898) 15 आरपीसी 131 के मामले में, यह कहा गया था:

"मुझे लगता है कि उस मामले में जो कुछ भी कहा गया था उसके बावजूद,

मार्क से संबंधित अन्य मामलों में कहा गया है कि आवेदक को यह दिखाने के लिए कि वह एक पीड़ित व्यक्ति है, यह दिखाना होगा कि यदि ट्रेड मार्क को बरकरार रहने दिया जाता है तो किसी संभावित तरीके से उसे क्षति या क्षति हो सकती है; और 'संभव' से मेरा तात्पर्य व्यावहारिक अर्थ में संभव है, न कि केवल काल्पनिक दृष्टिकोण से।

[देखें काबुशिकी कैशा तोशिबा बनाम तोसिबा एप्लायंसेज कंपनी और अन्य [ 2008 (8) स्केल 354]

19. यदि यह माना जाए कि करदाता एक व्यथित व्यक्ति है, जो उस पर की गई मांग की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए बाध्य है, तो उसके पास रिट याचिका कायम रखने का अधिकार होगा।

20. "कच्चा माल" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसका अर्थ वही दिया जाना चाहिए जो इस मामले से जुड़े लोगों की आम बोलचाल में समझा जाता है।

ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करने पर वह जल जाती है। सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि यह कच्चा माल नहीं रह गया है?

कलेक्टर , नई दिल्ली बनाम मेसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(१९८९) ४ एससीसी ५६६], जिस पर भरोसा किया गया है, में जस्टिस वेंकटचलैया (जैसा कि तब उनके माननीय न्यायाधीश थे) एक पीठ के लिए बोलते हुए एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे थे, जहां कागज के निर्माण में सोडियम सल्फेट के इनपुट को इस तथ्य के कारण "कच्चा माल" बना रहना माना गया था कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान यह घटक भस्म हो जाता है और जल जाता है, यह मानते हुए:

"14. किसी भी अंतिम उत्पाद के निर्माण की रासायनिक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त सामग्री में, अन्य बातों के अलावा, वे शामिल हो सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया के दौरान और अंतिम उत्पाद में भी अपनी प्रमुख व्यक्तिगत पहचान और चरित्र को बनाए रख सकते हैं; वे जो अन्य रसायनों या सामग्री के साथ अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप, स्वयं रासायनिक या गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं और ऐसे परिवर्तित रूप में खुद को अंतिम उत्पाद में पाते हैं; वे जो, उत्प्रेरक एजेंटों की तरह, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित और तेज करते हुए, हालांकि,

स्वयं अप्रभावित और अपरिवर्तित रहते हैं तथा अंतिम उत्पादों और उनसे स्वतंत्र और बाहर रहते हैं, जैसा कि यहाँ है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जल सकते हैं या भस्म हो सकते हैं। वर्तमान मामले में प्रश्न यह है कि क्या अंतिम वर्णित वर्ग के अवयव स्वयं को अंतिम उत्पाद के लिए "कच्चा माल" कहलाने के योग्य हैं और इसके पात्र हैं। हमारी राय में, वैध परीक्षणों में से एक यह हो सकता है कि घटक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए इतना आवश्यक होना चाहिए जो वांछित अंतिम उत्पाद के उद्भव में परिणत हो, कि प्रक्रिया में इसके महत्व और अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि जलने पर इसका उपभोग ही कच्चे माल के रूप में इसकी गुणवत्ता और मूल्य है। ऐसे मामले में, प्रासंगिक परीक्षण अंतिम उत्पाद में इसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के वितरण छोर पर इसकी आवश्यक उपस्थिति के लिए अंतिम उत्पाद की निर्भरता है। घटक अंतिम उत्पाद के निर्माण में इस अर्थ में जाता है कि इसकी अनुपस्थिति के बिना अंतिम उत्पाद की उपस्थिति, इस तरह, असंभव हो जाती है। इस गुणवत्ता को इस आवश्यकता के साथ संयोजित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग विनिर्माण उपकरण से अलग विनिर्माण प्रक्रिया में हो।"

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [ (1994) 6 एससीओ 479] के मामले में , इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह माना कि बैटरी, टायर और ट्यूब जो स्वयं तैयार उत्पाद हैं, वाहन में फिट किए जाने पर कच्चे माल होंगे, और कहा:

टायर , ट्यूब, बैटरी आदि जैसे सामान जो अन्यथा तैयार उत्पाद हैं, 1% की रियायती जी कर दर का लाभ उठा सकते हैं। यह अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'औद्योगिक कच्चे माल (इनपुट)' के निर्माण और समझ पर निर्भर करेगा। अधिनियम में 'कच्चे माल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इसे सामान्य और अच्छी तरह से स्वीकार किए जाने वाले तरीके से समझा जाना चाहिए।

अर्थ उन लोगों की आम बोलचाल में है जो इससे निपटते हैं। शब्दकोश के अनुसार, इसका अर्थ है ऐसी चीज़ जिसका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके बारे में सामान्य सामान्य ज्ञान यह है कि यह ऐसी चीज़ है जिससे कोई दूसरी नई या अलग वस्तु बनाई जा सकती है।"

22. हालांकि, श्री बी.बी. सिंह ने सही कहा कि ऑक्सीजन गैस कच्चा माल है या नहीं, यह सवाल मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार तथ्य का प्रश्न उठाया गया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि यह सही है या नहीं, केवल विकिपीडिया पर निर्भर नहीं रह सकते, जिस पर भरोसा किया गया है।

{देखें कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बेंगलोर बनाम एसीईआर इंडिया (पी) लिमिटेड [(2008) 1 एससीसी 382] और पॉण्ड्रस इंडिया लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स, लखनऊ [(2008) 8 एससीसी 369]}

23. हम नहीं जानते कि विनिर्माण प्रक्रियाएं क्या हैं और स्टील के विनिर्माण के मामले में ऑक्सीजन गैस की क्या भूमिका है। हमारे लिए यह भी संभव नहीं है कि हम अपना निर्णय केवल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में निहित आरेख के आधार पर लें। ऑक्सीजन गैस को कच्चा माल माना जा सकता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसे साक्ष्य टिस्को के पास हो सकते हैं। घटना में, यदि ऐसा कोई प्रश्न करदाता, अर्थात् बीओसी द्वारा उठाया जाता है, तो मूल्यांकन प्राधिकारी को उस पर जाना चाहिए। किसी विशेष गैस या वस्तु या सामान पर लागू कर और/या कर की विशेष दर के भुगतान से छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए, करदाता को स्वयं यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में लानी चाहिए कि यह अधिसूचना के दायरे में आता है। मेसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड [सुप्रा] दोनों मामलों में, यह प्रश्न कि क्या सोडियम सल्फेट और/या बैटरी, टायर, ट्यूब कच्चे माल थे या नहीं, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रश्न मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उठाया गया था।

24. हालांकि, हम रिकॉर्ड पर यह जरूर रखना चाहेंगे कि हम श्री बी बी सिंह के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि जिस प्रक्रिया को कानून में निर्धारित किया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिए अन्यथा करदाता को कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा जैसा कि इस न्यायालय ने नर्बदा प्रसाद बनाम छगन लाई एवं अन्य [( 1969) 1 एससीआर 499] और कुंवर पाल सिंह (मृत) बी बाय एल आर आदि आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माना है। [(2007) 5 एससीसी 85]. उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकते।

नर्बदा प्रसाद बनाम छगन लाई और अन्य में [उपर्युक्त], यह न्यायालय एक चुनाव याचिका दायर करने के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित मामले पर विचार कर रहा था क्योंकि चुनाव याचिका में उसमें निर्दिष्ट आवश्यक तथ्यों को उसमें निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

कुंवरपाल सिंह (मृत) एल.आर. आदि आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में। [(2007) 5 एससीसी 85], यह न्यायालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह समय-सीमा द्वारा वर्जित था, इस न्यायालय ने माना:

"यह सिद्धान्त सर्वविदित है कि जहां कोई वैधानिक प्रावधान किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी विशेष तरीके का प्रावधान करता है, वहां उस चीज या कार्य को अधिनियम में निर्धारित तरीके के अनुसार ही किया जाना चाहिए।"

25. उन्हीं कारणों से, हमारा मत है कि इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित भी कर दे कि उसने अनजाने में अधिसूचना का लाभ नहीं लिया है, तो यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी नियम पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

26. हालांकि, हम यह देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने शेयर मेडिकल केयर बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2007) 4 एससीसी 573] में निम्नलिखित राय व्यक्त की है:

"15. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि यदि कोई आवेदक प्रारंभिक स्तर पर किसी विशेष अधिसूचना के तहत लाभ का दावा नहीं करता है, तो भी उसे वंचित नहीं किया जाता है,

बाद में ऐसे लाभ का दावा करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा या उसे रोक दिया जाएगा।"

27. उपर्युक्त कारणों से, विवादित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता पर की गई मांग को भी रद्द किया जाता है। यह प्रश्न कि ऑक्सीजन गैस स्टील के निर्माण के लिए कच्चा माल है या नहीं, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उन सामग्रियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिन्हें पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। उक्त प्रश्न पर पक्षों द्वारा उठाए गए सभी विवाद खुले रहेंगे। मूल्यांकन प्राधिकारी को इस संबंध में पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्देश दिया जाता है। उक्त प्रश्न पर निर्धारण के आधार पर अन्य सभी परिणामी कार्यवाही की जा सकती है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की गई।

डी.जी.

**यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।**